पंजी. क्र. S/25125/1993

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

ABRSM

सा विद्या या विमुक्तये

केन्द्रीय कार्यालय : शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्णा गली नं. 9, मौजपुर, दिल्ली-110053

दूरभाष : 011-22914799, 09868711893, 09414040403

E-mail : abrsmdelhi@gmail.com, abrsmdelhi@rediffmail.com,Website: www.abrsm.in

संरक्षक - **प्रो. के. नरहरि** (080) 23324503, 23325743, 09880595357

अध्यक्ष	महामंत्री	अति. महामंत्री	संगठन मंत्री	सह संगठन मंत्री
डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल	प्रो. जगदीश प्रसाद सिंघल	प्रो.के. बालकृष्ण भट्ट	महेन्द्र कपूर	ओमपाल सिंह
(0141) 2785393, 09414023964	(0141) 2503159, 09414068780	(0824) 2476141, 09448503090	09868711893, 09414040403	(0522) 2238794, 09415121329

उपाध्यक्ष
श्रीमती प्रियम्वदा सक्सैना (महाराष्ट्र)
09373302551
जगदीश सिंह चौहान (दिल्ली)
09312115139
डॉ. अशोक कुमार सिंह (झारखण्ड)
(0657) 2363028, 09431750251
डॉ. निर्मला यादव (उत्तरप्रदेश)
09412169506

सचिव
श्रीमती आर. सीतालक्ष्मी (कर्नाटक)
(080) 23466495, 09986832449
हिम्मत सिंह जैन (मध्यप्रदेश)
(07420) 255591, 09425973461
मोहन पुरोहित (राजस्थान)
09829234345
डॉ. प्रगनेश ाह (गुजरात)
09879567178

संयुक्त सचिव
डॉ. सुदेश र्मा (दिल्ली)
09911381781
श्रीमती सुधा मिश्रा (उत्तरप्रदेश)
09450488131
श्री पी. वेंकटराव (तेलंगाना)
09490149248
डॉ. मनोज सिन्हा (दिल्ली)
09868877699

कोषाध्यक्ष
बजरंग प्रसाद मजेजी (राजस्थान)
09460894708

आंतरिक अंकेक्षक
पवन मिश्रा (हिमाचल प्रदेश)
09817399333

उच्च शिक्षा संवर्ग प्रभारी
महेन्द्र कुमार (उत्तरप्रदेश)
09415201262

प्रकाशन प्रकोष्ठ प्रमुख
वि णु प्रसाद चतुर्वेदी (राजस्थान)
09829113431

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रमुख
एच. नागभूषण राव (कर्नाटक)
(080) 23466495, 09482014280

मीडिया प्रकोष्ठ प्रमुख
विजय सिंह (मध्यप्रदेश)
09425179729

शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रमुख
डॉ. रमेश चन्द्र सिन्हा (बिहार)
09334306254

आयाम प्रमुख

शिक्षक सम्मान
जय भगवान गोयल (दिल्ली)
09868900310

समर्थ भारत
किशन लाल नाकड़ा (मध्यप्रदेश)
09826187811

पत्रांक: महा. 6/विक्रम संवत 2074 | दिनांक: 03.05.2017

माननीय प्रकाश जावडेकर जी
मानव संसाधन विकास मंत्री
भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय : महासंघ का मांग पत्र

महोदय,

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ आपसे अनुरोध करता है कि निम्नलिखित विषयों पर शिक्षा हित में विचार कर आवश्यक कार्यवाही कर अनुग्रहीत करें -

1. **छठे वेतनमान की विसंगतियों को दूर किया जाये।**

   छठे वेतनमानों को सम्पूर्ण देश में एक समान रूप में लागू किया जाना था। जिन विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में इन्हें लागू किया गया वहाँ भी अनेक विसंगतियाँ हैं जैसे कनिष्ठ सेवारत शिक्षक को वरिष्ठ सेवारत शिक्षक से अधिक वेतन भुगतान होना। यह बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इन विसंगतियों के रहते हुए शिक्षकों के वेतन का सही नियतन किया जाना सम्भव नहीं होगा।

2. **सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को सम्पूर्ण देश में समान रूप से लागू किया जाये।**

   मानव संसाधन विकास मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि सातवें वेतन आयोग की सभी सिफारिशें सम्पूर्ण देश में समान रूप से लागू की जायें। देश के भिन्न-भिन्न राज्यों में शिक्षकों के वेतनमान एवं सेवा शर्तों में अनेक प्रकार की भिन्नताएँ हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धान्त का पालन करते हुए सम्पूर्ण देश में शिक्षकों के लिए समान वेतनमान नीति लागू किये जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों द्वारा इन सिफारिशों के क्रियान्वयन को बाध्यकारी बनाने के लिए केन्द्र सरकार राज्यों को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था कर सकती है।

3. **1 जनवरी 2004 से पूर्व की पेंशन योजना सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में बहाल की जाये।**

   नवीन पैंशन योजना एक प्रतिगामी कदम है। इसके स्थान पर 1 जनवरी 2004 से पूर्व की पैंशन योजना को सभी शिक्षकों के लिए बहाल किया जाये ताकि भारत के कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को सही साबित किया जा सके।

पंजी. क्र. S/25125/1993

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

ABRSM

सा विद्या या विमुक्तये

केन्द्रीय कार्यालय : शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्णा गली नं. 9, मौजपुर, दिल्ली-110053

दूरभाष : 011-22914799, 09868711893, 09414040403

E-mail : abrsmdelhi@gmail.com, abrsmdelhi@rediffmail.com, Website: www.abrsm.in

संरक्षक - प्रो. के. नरहरि (080) 23324503, 23325743, 09880595357

अध्यक्ष डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल (0141) 2785393, 09414023964
महामंत्री प्रो. जगदीश प्रसाद सिंघल (0141) 2503159, 09414068780
अति. महामंत्री प्रो.के. बालकृष्ण भट्ट (0824) 2476141, 09448503090
संगठन मंत्री महेन्द्र कपूर 09868711893, 09414040403
सह संगठन मंत्री ओमपाल सिंह (0522) 2238794, 09415121329

उपाध्यक्ष
श्रीमती प्रियम्वदा सक्सैना (महाराष्ट्र) 09373302551
जगदीश सिंह चौहान (दिल्ली) 09312115139
डॉ. अशोक कुमार सिंह (झारखण्ड) (0657) 2363028, 09431750251
डॉ. निर्मला यादव (उत्तरप्रदेश) 09412169506

सचिव
श्रीमती आर. सीतालक्ष्मी (कर्नाटक) (080) 23466495, 09986832449
हिम्मत सिंह जैन (मध्यप्रदेश) (07420) 255591, 09425973461
मोहन पुरोहित (राजस्थान) 09829234345
डॉ. प्रगनेश ाह (गुजरात) 09879567178

संयुक्त सचिव
डॉ. सुदेश र्मा (दिल्ली) 09911381781
श्रीमती सुधा मिश्रा (उत्तरप्रदेश) 09450488131
श्री पी. वेंकटराव (तेलंगाना) 09490149248
डॉ. मनोज सिन्हा (दिल्ली) 09868877699

कोषाध्यक्ष
बजरंग प्रसाद मजेजी (राजस्थान) 09460894708

आंतरिक अंकेक्षक
पवन मिश्रा (हिमाचल प्रदेश) 09817399333

उच्च शिक्षा संवर्ग प्रभारी
महेन्द्र कुमार (उत्तरप्रदेश) 09415201262

प्रकाशन प्रकोष्ठ प्रमुख
वि णु प्रसाद चतुर्वेदी (राजस्थान) 09829113431

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रमुख
एच. नागभूषण राव (कर्नाटक) (080) 23466495, 09482014280

मीडिया प्रकोष्ठ प्रमुख
विजय सिंह (मध्यप्रदेश) 09425179729

शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रमुख
डॉ. रमेश चन्द्र सिन्हा (बिहार) 09334306254

आयाम प्रमुख

शिक्षक सम्मान
जय भगवान गोयल (दिल्ली) 09868900310

समर्थ भारत
किशन लाल नाकड़ा (मध्यप्रदेश) 09826187811

पत्रांकः   दिनांकः

4. **सम्पूर्ण देश में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु एक समान 65 वर्ष की जाय।**

देश के विभिन्न राज्यों में विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु अलग-अलग है। राजस्थान में 60 वर्ष केरल में 55 वर्ष, उड़ीसा में 58वर्ष, उत्तर प्रदेश में 62 वर्ष, बिहार में 65 वर्ष और केन्द्र सरकार में 65 वर्ष है। शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की कमी की स्थिति से निपटने, उनके अनुभव का लाभ उठाने एवं शिक्षा के कैरियर को अधिक आकर्षक बनाने की दृष्टि से सम्पूर्ण देश में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु एक समान 65 वर्ष की जानी चाहिए। जीवन प्रत्याशा में अनवरत वृद्धि तथा शिक्षा सेवा में प्रवेश की आयु में हो रही वृद्धि के कारण सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करना न्यायोचित होगा।

5. **शैक्षणिक पदों पर नियमित एवं स्थायी नियुक्ति सुनिश्चित की जाये और शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुदृढ़ व्यवस्था हो।**

देश के सभी राज्यों एवं केन्द्र में प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय शिक्षकों के लाखों पद रिक्त हैं। सम्बन्धित सरकारें वेतनमानों के आर्थिक भार से बचने के उद्देश्य से विद्यार्थी मित्र, पैराटीचर, संविदा शिक्षक, अतिथि शिक्षक, प्रबोधक, शिक्षामित्र, अंशकालीन शिक्षक आदि नामों से अस्थायी व्यवस्था कर रही है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता का ह्रास तो हो ही रहा है, परन्तु शिक्षा का सम्पूर्ण ढांचा ही चरमरा गया है। कामचलाऊ व्यवस्था के स्थान पर शिक्षकों की नियमित एवं स्थायी नियुक्ति की आवश्यकता है। शिक्षा में गुणवत्ता के लिए सभी स्तरों पर शिक्षकों के प्रशिक्षण की ऐसी व्यवस्था हो जिससे शिक्षक शिक्षार्थी के सम्पूर्ण विकास में सकारात्मक योगदान कर सके एवं नवीनतम ज्ञान से उनका परिमार्जन कर सके।

6. **देश के सभी महाविद्यालयों में विभिन्न शिक्षक पदों का नामकरण एक समान यू.जी.सी. की अनुशंसा के अनुरूप सहायक प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर के रूप में किया जाये।**

यू.जी.सी. द्वारा शिक्षा पर समग्र रूप से विचार करते हुए सम्पूर्ण देश में एक समान पदनामों के अपनाने की अनुशंसा इस अपेक्षा से की थी जिससे अलग-अलग नामों से जाने वाले शिक्षकों के पदनाम में एकरूपता लायी जा सके। पदनाम बदलने के निर्णय से सरकार पर किसी भी प्रकार का वित्तीय भार नहीं आयेगा और इससे उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार भी होगा। महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर के पदनाम देने से न केवल पदों की भ्रान्ति दूर होगी बल्कि सम्पूर्ण देश में पदनामों में एकरूपता भी आयेगी।

पंजी. क्र. S/25125/1993

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

ABRSM

केन्द्रीय कार्यालय : शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्णा गली नं. 9, मौजपुर, दिल्ली-110053

दूरभाष : 011-22914799, 09868711893, 09414040403

E-mail : abrsmdelhi@gmail.com, abrsmdelhi@rediffmail.com,Website: www.abrsm.in

संरक्षक - प्रो. के. नरहरि (080) 23324503, 23325743, 09880595357

अध्यक्ष
डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल
(0141) 2785393, 09414023964

महामंत्री
प्रो. जगदीश प्रसाद सिंघल
(0141) 2503159, 09414068780

अति. महामंत्री
प्रो.के. बालकृष्ण भट्ट
(0824) 2476141, 09448503090

संगठन मंत्री
महेन्द्र कपूर
09868711893, 09414040403

सह संगठन मंत्री
ओमपाल सिंह
(0522) 2238794, 09415121329

उपाध्यक्ष
श्रीमती प्रियम्वदा सक्सैना (महाराष्ट्र)
09373302551
जगदीश सिंह चौहान (दिल्ली)
09312115139
डॉ. अशोक कुमार सिंह (झारखण्ड)
(0657) 2363028, 09431750251
डॉ. निर्मला यादव (उत्तरप्रदेश)
09412169506

सचिव
श्रीमती आर. सीतालक्ष्मी (कर्नाटक)
(080) 23466495, 09986832449
हिम्मत सिंह जैन (मध्यप्रदेश)
(07420) 255591, 09425973461
मोहन पुरोहित (राजस्थान)
09829234345
डॉ. प्रगनेश ाह (गुजरात)
09879567178

संयुक्त सचिव
डॉ. सुदेश र्मा (दिल्ली)
09911381781
श्रीमती सुधा मिश्रा (उत्तरप्रदेश)
09450488131
श्री पी. वेंकटराव (तेलंगाना)
09490149248
डॉ. मनोज सिन्हा (दिल्ली)
09868877699

कोषाध्यक्ष
बजरंग प्रसाद मजेजी (राजस्थान)
09460894708

आंतरिक अंकेक्षक
पवन मिश्रा (हिमाचल प्रदेश)
09817399333

उच्च शिक्षा संवर्ग प्रभारी
महेन्द्र कुमार (उत्तरप्रदेश)
09415201262

प्रकाशन प्रकोष्ठ प्रमुख
वि णु प्रसाद चतुर्वेदी (राजस्थान)
09829113431

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रमुख
एच. नागभूषण राव (कर्नाटक)
(080) 23466495, 09482014280

मीडिया प्रकोष्ठ प्रमुख
विजय सिंह (मध्यप्रदेश)
09425179729

शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रमुख
डॉ. रमेश चन्द्र सिन्हा (बिहार)
09334306254

आयाम प्रमुख

शिक्षक सम्मान
जय भगवान गोयल (दिल्ली)
09868900310

समर्थ भारत
किशन लाल नाकड़ा (मध्यप्रदेश)
09826187811

पत्रांक: दिनांक:

7. **विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों को सी.ए.एस. का लाभ सुनिश्चित किया जाये।**

   ए.पी.आई के द्वारा कार्य निष्पादन के आधार पर मूल्यांकन पद्धति (PBAS) की योजना के आधार सी.ए.एस. का लाभ देने के नियमों पर पुन: विचार करने की आवश्यकता है। यह योजना विवेकपूर्ण नहीं लगती तथा अनेक प्रकार के भ्रमों से युक्त है। सम्भवतया इसी कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसमें चार बार संशोधन किया गया है। इस योजना को पुन: विचार कर एक ऐसी योजना लाये जाने की आवश्यकता है जो व्यावहारिक हो और गुणात्मक हो ताकि सी.ए.एस. से वंचित लोगों को न्यायोचित लाभ मिल सके।

8. **विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में महाविद्यालय प्राचार्य का कार्यकाल 5 वर्ष तक सीमित नहीं किया जाकर सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करने तक रखा जाये।**

   विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा महाविद्यालयों के प्राचार्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए सीमित कर दिया है। यह न तो व्यावहारिक है और न ही न्यायोचित्त। क्योंकि प्राचार्य का पद चयनित पद है और उनका पूर्व पद पर कोई लियन भी नहीं रहता। अत: 5 वर्ष की समाप्ति के बाद उनका भविष्य अनिश्चित न रहे इसलिए इन नियमों में परिवर्तन कर इनका कार्यकाल सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करने तक करना न्यायसंगत रहेगा।

9. **कार्यरत शिक्षकों को पीएच.डी. कोर्स वर्क से मुक्त किया जाये।**

   शोध कार्य के प्रोत्साहन के लिए महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे नियमित शिक्षकों को पीएच.डी. कोर्स वर्क से मुक्त किया जाये अथवा उन्हें इसके लिए सवैतनिक अवकाश दिया जाये।

10. **अनुदानित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों को वेतन भुगतान की कोषागार भुगतान व्यवस्था हो।**

    अनुदानित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में वेतन भुगतान में अनेक विसंगतियां पनपी हैं और इनके कारण अनेक शिक्षण संस्थान शिक्षकों का शोषण करने से नहीं हिचकते हैं। सभी शिक्षकों को वेतन का पूर्ण एवं नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए वेतन के भुगतान की कोषागार व्यवस्था किया जाना श्रेयस्कर रहेगा।

अध्यक्ष
डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल
(0141) 2785393, 09414023964

महामंत्री
प्रो. जगदीश प्रसाद सिंघल
(0141) 2503159, 09414068780

अति. महामंत्री
प्रो.के. बालकृष्ण भट्ट
(0824) 2476141, 09448503090

संगठन मंत्री
महेन्द्र कपूर
09868711893, 09414040403

सह संगठन मंत्री
ओमपाल सिंह
(0522) 2238794, 09415121329

उपाध्यक्ष
श्रीमती प्रियम्वदा सक्सैना (महाराष्ट्र)
09373302551
जगदीश सिंह चौहान (दिल्ली)
09312115139
डॉ. अशोक कुमार सिंह (झारखण्ड)
(0657) 2363028, 09431750251
डॉ. निर्मला यादव (उत्तरप्रदेश)
09412169506
सचिव
श्रीमती आर. सीतालक्ष्मी (कर्नाटक)
(080) 23466495, 09986832449
हिम्मत सिंह जैन (मध्यप्रदेश)
(07420) 255591, 09425973461
मोहन पुरोहित (राजस्थान)
09829234345
डॉ. प्रगनेश ाह (गुजरात)
09879567178
संयुक्त सचिव
डॉ. सुदेश र्मा (दिल्ली)
09911381781
श्रीमती सुधा मिश्रा (उत्तरप्रदेश)
09450488131
श्री पी. वेंकटराव (तेलंगाना)
09490149248
डॉ. मनोज सिन्हा (दिल्ली)
09868877699
कोषाध्यक्ष
बजरंग प्रसाद मजेजी (राजस्थान)
09460894708
आंतरिक अंकेक्षक
पवन मिश्रा (हिमाचल प्रदेश)
09817399333
उच्च शिक्षा संवर्ग प्रभारी
महेन्द्र कुमार (उत्तरप्रदेश)
09415201262
प्रकाशन प्रकोष्ठ प्रमुख
वि णु प्रसाद चतुर्वेदी (राजस्थान)
09829113431
प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रमुख
एच. नागभूषण राव (कर्नाटक)
(080) 23466495, 09482014280
मीडिया प्रकोष्ठ प्रमुख
विजय सिंह (मध्यप्रदेश)
09425179729
शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रमुख
डॉ. रमेश चन्द्र सिन्हा (बिहार)
09334306254
आयाम प्रमुख
शिक्षक सम्मान
जय भगवान गोयल (दिल्ली)
09868900310
समर्थ भारत
किशन लाल नाकड़ा (मध्यप्रदेश)
09826187811

पत्रांक: दिनांक:

11. सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को समुचित चिकित्सा सुविधा के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य कार्ड की सुविधा प्रदत्त की जाये एवं उसका प्रभावी क्रियान्वयन हो।

उचित चिकित्सा सुविधा मुहैय्या कराया जाना शिक्षकों की क्षमता में अभिवृद्धि करेगा, अत: सभी शिक्षकों के लिए समुचित चिकित्सा सुविधा की कारगर एवं व्यावहारिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

12. प्रोन्नति के लिए पूर्व सेवा को गणना में सम्मिलित किया जाये।

शिक्षकों की कठिनाई को दूर करने के सम्बन्ध में उनके द्वारा अस्थायी अथवा एडहाक रूप में की गई लम्बी अवधि की पूर्व सेवा को प्रोन्नति के लिए वर्तमान सेवाकाल में गणना की जाये। ऐसी व्यस्था यू.जी.सी. नियमों में करना न्यायसंगत होगा।

13. शैक्षिक स्टाफ की शिक्षकों के साथ समकक्षता स्थापित हो।

महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयध्यक्ष, शारीरिक अनुदेशक, शोध सहयोगी, शोध वैज्ञानिक, सिस्टम एनालिस्ट और सिस्टम प्रोग्रामर आदि को वेतन, सेवा शर्तों तथा प्रोन्नति के लिए शिक्षकों के समकक्ष माना जाये।

शिक्षा से सम्बन्धित विषय

14. राष्ट्रीय अस्मिता, भारतीय जीवन मूल्यों, मानव एवं चरित्र निर्माण, सामाजिक सरोकार, मौलिक चिन्तन, शोध एवं नवाचार से युक्त सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति की पुन:संरचना की जाये।

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था सूचना सम्प्रेषण तक सीमित होती जा रही है। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य मानव एवं चरित्र निर्माण की दृष्टि से शिक्षा हाशिए पर चली गई है। उत्सुकता, समीक्षा, आलोचना, दृष्टि, कल्पना, मौलिक चिन्तन, नवाचार, अनुसंधान, राष्ट्रीय अस्मिता, सांस्कृतिक मूल्यों एवं सामाजिक सरोकार की दृष्टि से शिक्षा बिलकुल खोखली प्रतीत होती है। मानव निर्माण के लिए शिक्षा में राष्ट्रीय अस्मिता, भारतीय जीवन मूल्यों, सामाजिक निर्माण, मौलिक चिन्तन, शोध एवं नवाचार से ओत-प्रोत शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना आज की अहम् आवश्यकता है।

पंजी. क्र. S/25125/1993

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ
Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh
केन्द्रीय कार्यालय : शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्णा गली नं. 9, मौजपुर, दिल्ली-110053
दूरभाष : 011-22914799, 09868711893, 09414040403
E-mail : abrsmdelhi@gmail.com, abrsmdelhi@rediffmail.com,Website: www.abrsm.in
संरक्षक - प्रो. के. नरहरि (080) 23324503, 23325743, 09880595357
ABRSM

अध्यक्ष डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल (0141) 2785393, 09414023964
महामंत्री प्रो. जगदीश प्रसाद सिंघल (0141) 2503159, 09414068780
अति. महामंत्री प्रो.के. बालकृष्ण भट्ट (0824) 2476141, 09448503090
संगठन मंत्री महेन्द्र कपूर 09868711893, 09414040403
सह संगठन मंत्री ओमपाल सिंह (0522) 2238794, 09415121329

उपाध्यक्ष
श्रीमती प्रियम्वदा सक्सैना (महाराष्ट्र) 09373302551
जगदीश सिंह चौहान (दिल्ली) 09312115139
डॉ. अशोक कुमार सिंह (झारखण्ड) (0657) 2363028, 09431750251
डॉ. निर्मला यादव (उत्तरप्रदेश) 09412169506
सचिव
श्रीमती आर. सीतालक्ष्मी (कर्नाटक) (080) 23466495, 09986832449
हिम्मत सिंह जैन (मध्यप्रदेश) (07420) 255591, 09425973461
मोहन पुरोहित (राजस्थान) 09829234345
डॉ. प्रगनेश ाह (गुजरात) 09879567178
संयुक्त सचिव
डॉ. सुदेश र्मा (दिल्ली) 09911381781
श्रीमती सुधा मिश्रा (उत्तरप्रदेश) 09450488131
श्री पी. वेंकटराव (तेलंगाना) 09490149248
डॉ. मनोज सिन्हा (दिल्ली) 09868877699
कोषाध्यक्ष
बजरंग प्रसाद मजेजी (राजस्थान) 09460894708
आंतरिक अंकेक्षक
पवन मिश्रा (हिमाचल प्रदेश) 09817399333
उच्च शिक्षा संवर्ग प्रभारी
महेन्द्र कुमार (उत्तरप्रदेश) 09415201262
प्रकाशन प्रकोष्ठ प्रमुख
वि णु प्रसाद चतुर्वेदी (राजस्थान) 09829113431
प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रमुख
एच. नागभूषण राव (कर्नाटक) (080) 23466495, 09482014280
मीडिया प्रकोष्ठ प्रमुख
विजय सिंह (मध्यप्रदेश) 09425179729
शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रमुख
डॉ. रमेश चन्द्र सिन्हा (बिहार) 09334306254
आयाम प्रमुख
शिक्षक सम्मान
जय भगवान गोयल (दिल्ली) 09868900310
समर्थ भारत
किशन लाल नाकड़ा (मध्यप्रदेश) 09826187811

पत्रांक: दिनांक:

15. शिक्षा व्यवस्था के नियोजन, नियमन एवं नियन्त्रण के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शिक्षाविदों से युक्त स्वतन्त्र एवं स्वायत्त नियामक शिक्षा आयोग का निर्माण हो।

पिछले वर्षों में निजी शिक्षण संस्थानों की बाढ़ सी आई है। नियमन एवं नियन्त्रण की लचर व्यवस्था के कारण सैंकड़ों विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों ने शिक्षा को धन कमाने का व्यवसाय बना लिया है। इन शिक्षण संस्थाओं का शिक्षा से कोई गंभीर सरोकार नहीं है और शिक्षार्थी एवं अभिभावक पूर्ण रूप से निराश एवं असहाय हैं। शिक्षा संस्थाओं के प्रारम्भ, संचालन, शुल्क का ढांचा, पाठ्यक्रम, वेतन निर्धारण, फैकल्टी चयन आदि या तो निजी प्रबन्धन की मनमानी का शिकार हैं या केन्द्र एवं राज्य सरकारों के अधिकार में। शिक्षा को बचाने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शिक्षाविदों से युक्त स्वतन्त्र एवं स्वायत्त नियामक आयोग का निर्माण किया जाना आवश्यक है जिससे कि सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था को नियमित एवं नियन्त्रित किया जा सके।

16. सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का 10 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा राज्य अपने बजट का 30 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय सुनिश्चित करे ताकि आधारभूत सुविधाएँ जैसे शिक्षक, पुस्तकें, भवन, खेल के मैदान आदि उपलब्ध हो सकें।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के 70 वर्ष पश्चात् भी शिक्षा शिक्षकों, पुस्तकों, भवनों, खेल के मैदानों को तरस रही है। उभरती हुई अर्थव्यवस्था के बावजूद केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा सकल घरेलू आय का 04 प्रतिशत से कम शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। इससे हजारों लोग ज्ञान अर्जन से वंचित हो रहे हैं और शोध, अनुसंधान एवं नवाचार बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता तार-तार होती दिख रही है और सम्पूर्ण जगत को ज्ञान देने वाले भारत के विद्यार्थियों की स्थिति आज संसार के आखिरी कुछ देशों में की जा रही है। स्थिति में सुधार के लिये देश की सकल राष्ट्रीय आय का 10 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाना अतिआवश्यक है।

17. सम्पूर्ण देश में शिक्षा की स्वायत्तता को बहाल किया जाये एवं शिक्षा सम्बन्धी सभी निर्णयों में शिक्षकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाये तथा राजनीतिक एवं प्रशासनिक हस्तक्षेप बंद हो।

आज शिक्षा राजनीतिक एवं प्रशासकीय हस्तक्षेप से त्रस्त है और सभी शैक्षणिक निर्णयों में इन्हीं का एकाधिकार है। यहाँ तक कि आजकल तो पाठ्यक्रमों का निर्धारण भी सरकार करने लगी है। शिक्षा की स्वायत्तता को बहाल करने के लिए इसे पूर्ण रूप से सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त करना होगा। सभी

केन्द्रीय कार्यालय : शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्णा गली नं. 9, मौजपुर, दिल्ली-110053
दूरभाष : 011-22914799, 09868711893, 09414040403
E-mail : abrsmdelhi@gmail.com, abrsmdelhi@rediffmail.com, Website: www.abrsm.in
संरक्षक - प्रो. के. नरहरि (080) 23324503, 23325743, 09880595357

अध्यक्ष डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल (0141) 2785393, 09414023964
महामंत्री प्रो. जगदीश प्रसाद सिंघल (0141) 2503159, 09414068780
अति. महामंत्री प्रो.के. बालकृष्ण भट्ट (0824) 2476141, 09448503090
संगठन मंत्री महेन्द्र कपूर 09868711893, 09414040403
सह संगठन मंत्री ओमपाल सिंह (0522) 2238794, 09415121329

उपाध्यक्ष
श्रीमती प्रियम्वदा सक्सैना (महाराष्ट्र) 09373302551
जगदीश सिंह चौहान (दिल्ली) 09312115139
डॉ. अशोक कुमार सिंह (झारखण्ड) (0657) 2363028, 09431750251
डॉ. निर्मला यादव (उत्तरप्रदेश) 09412169506
सचिव
श्रीमती आर. सीतालक्ष्मी (कर्नाटक) (080) 23466495, 09986832449
हिम्मत सिंह जैन (मध्यप्रदेश) (07420) 255591, 09425973461
मोहन पुरोहित (राजस्थान) 09829234345
डॉ. प्रगनेश ाह (गुजरात) 09879567178
संयुक्त सचिव
डॉ. सुदेश र्मा (दिल्ली) 09911381781
श्रीमती सुधा मिश्रा (उत्तरप्रदेश) 09450488131
श्री पी. वेंकटराव (तेलंगाना) 09490149248
डॉ. मनोज सिन्हा (दिल्ली) 09868877699
कोषाध्यक्ष
बजरंग प्रसाद मजेजी (राजस्थान) 09460894708
आंतरिक अंकेक्षक
पवन मिश्रा (हिमाचल प्रदेश) 09817399333
उच्च शिक्षा संवर्ग प्रभारी
महेन्द्र कुमार (उत्तरप्रदेश) 09415201262
प्रकाशन प्रकोष्ठ प्रमुख
वि णु प्रसाद चतुर्वेदी (राजस्थान) 09829113431
प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रमुख
एच. नागभूषण राव (कर्नाटक) (080) 23466495, 09482014280
मीडिया प्रकोष्ठ प्रमुख
विजय सिंह (मध्यप्रदेश) 09425179729
शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रमुख
डॉ. रमेश चन्द्र सिन्हा (बिहार) 09334306254
आयाम प्रमुख
शिक्षक सम्मान
जय भगवान गोयल (दिल्ली) 09868900310
समर्थ भारत
किशन लाल नाकड़ा (मध्यप्रदेश) 09826187811

पत्रांक: दिनांक:

शैक्षणिक निर्णयों में शिक्षकों की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करना होगा और शिक्षा व्यवस्था में प्रजातंत्रीय व्यवस्था को स्वीकार करना होगा।

18. **नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के प्रावधानों को सुसंगत एवं व्यावहारिक बनाया जाये तथा उनकी पालना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संसाधन एवं सुविधाएं प्रदान की जाये।**

नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून का हम स्वागत करते हैं लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें व्यावहारिक एवं सुसंगत बनाने की आवश्यकता है। आठवीं तक किसी विद्यार्थी को अनुर्तीण न करने के निर्णय, समग्र मूल्यांकन के अन्तर्गत शिक्षकों को औपचारिकताओं को पूर्ण करने में समय व्यतीत करने, अधिनियम के सफल क्रियान्वयन के लिए आधारभूत सुविधाओं की कमी के बिन्दुओं पर समग्र रूप से विचार करने की आवश्यकता है। इस कानून को व्यावहारिक बनाने के लिए इसके कुछ प्रावधानों पर पुन: विचार करने की आवश्यकता है।

19. **प्राथमिक शिक्षा, मातृभाषा में ही दी जाये।**

बच्चा अपनी मातृभाषा में अधिक आसानी से सीखता है और इससे उसकी सृजन करने की शक्ति में वृद्धि होती है, अत: प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाये।

20. **शिक्षा के बाजारीकरण पर नियन्त्रण सुनिश्चित हो।**

शिक्षा के बाजारीकरण के दुष्परिणाम अब देश में दिखने लगे हैं। आज शिक्षण संस्थाऐं डिग्री एवं सर्टीफिकेट बांटने वाली संस्थान बनती जा रही हैं। इनके नियमन एवं नियन्त्रण की ऐसी व्यवस्था हो जिससे शिक्षा व्यापार का विषय न बने। शिक्षा व्यवस्था के नियोजन एवं नियंत्रण में केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शिक्षाविदों से युक्त स्वतंत्र व स्वायत्त नियामक शिक्षा आयोग उपयोगी भूमिका निभा सकता है।

सादर।

भवदीय

(जगदीश प्रसाद सिंघल)
महामंत्री